

सार्वजनिक सूचना

परिवार न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन स्थापित परिवार न्यायालय में 30 प्र0 परिवार न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में।

परिवार न्यायालय की सहायता हेतु परामर्शदाताओं की अबद्धता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से 30 प्र0 शासन द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

1. अर्ह व्यक्तियों से आवेदन-पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
2. यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले सं संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता या आवेदक नहीं मिलता तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के रूप में बाधा नहीं है।
3. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामान्य कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कंठसलिंग में जिन्हें 2 वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जायेगी।
4. विज्ञापन के समय परामर्शदाताओं की आयु 35 से 65 वर्ष की बीच होनी चाहिये।
5. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासंभव 1 पद के सापेक्ष 5 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
6. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार करेगी।
7. परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
8. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 3 वर्ष के लिये उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
9. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति, शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर संबद्ध रहेंगे।
10. आवेदन पत्र प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय आगरा के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
11. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.03.2026 है।

(तृप्ता चौधरी)

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत), जनपद न्यायालय, आगरा को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की एक प्रति प्रशासनिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, आगरा को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाश हेतु।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, आगरा व माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(तृप्ता चौधरी)

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, आगरा।

आवेदन पत्र

- 1- नाम -----
- 2- पिता का नाम -----
- 3- जन्मतिथि-----
- 4- जाति-----
- 5- निवास स्थान -----
- 6- शैक्षणिक योग्यता -----
- 7- पारिवारिक काउंसलिंग का अनुभव, यदि कोई हो, -----
- 8- फोन नं०----- मोबाइल नं० -----
- 9- ई-मेल आई.डी. -----
- 10- अन्य कोई विवरण -----

उद्घोषणा

मैं -----एतद् द्वारा उद्घोषणा करता/ करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सही रूप से दी गयी है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है और न कुछ असत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर आवेदक